

अति तात्कालिक

सं० फा० 5(35)-ई० ॥१(ए)|66

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली-2, 22<sup>n</sup> अगस्त 1970

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- वेतन-ढाँची के किसी भी स्तर पर संशोधन पर रोक

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस मन्त्रालय के दिनांक 29 अगस्त 1966 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा० 5(35)-ई० ॥१(ए)|66 तथा उसके बाद दिनांक 28 जून 1969 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में यह कलें का निर्देश हुआ है कि इस विषय की समीक्षा करने पर मन्त्रिमंडल की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि वेतन ढाँचे पर वर्तमान रोक को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिये 30 जून 1971 तक और जारी रखा जाय ।

कृपा सिंह

( कृपा सिंह )

उप सचिव, भारत सरकार

स्वा भं,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग,  
सरकारी उद्यम ब्यूरो आदि, आदि ।